निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 आषाढ़ 1936 (श0)

(सं0 पटना 597) पटना, बुधवार, 16 जुलाई 2014

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

अधिसूचनाएं

11 जुलाई 2014

सं0 1/प.5–01/2010–791——भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार कला एवं संस्कृति सेवा में भर्ती की पद्धति एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

बिहार कला एवं संस्कृति सेवा नियमावली, 2014

अध्याय–1

प्रारंभिक

1. **संक्षित नाम, विस्तार एवं प्रारंभ** ।–
   (i) यह नियमावली बिहार कला एवं संस्कृति सेवा नियमावली, 2014 कही जा सकेगी।
   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (iii) यह तुरंत प्रवृत होगी।

2. **परिभाषाएँ** ।– इस नियमावली में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,:–
   (i) ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है, बिहार सरकार;
   (ii) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है, बिहार के राज्यपाल;
   (iii) ''विभाग'' से अभिप्रेत है, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग;
   (iv) ''आयोग'' से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग;
   (v) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है, बिहार कला एवं संस्कृति सेवा संवर्ग में नियुक्त व्यक्ति;
   (vi) ''सेवा'' से अभिप्रेत है, बिहार कला एवं संस्कृति सेवा ;
   (vii) ''नियुक्ति प्राधिकार'' से अभिप्रेत, बिहार सरकार;
   (viii) ''नियंत्री प्राधिकार'' से अभिप्रेत है, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार;
   (ix) ''परीक्ष्यमान पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है, स्थायी पदों के विरूद्ध बेसिक ग्रेड में नव नियुक्त प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बिहार कला एवं संस्कृति सेवा संवर्ग के पदाधिकारी;
   (x) ''वरीयता'' से अभिप्रेत है, सांस्कृतिक निदेशालय संवर्ग के लिए तैयार की जाने वाली वरीयता सूची।

3. **सेवा की संरचना ।**–

(i) सेवा, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के प्रशासी नियंत्रण में राज्य सेवा होगा।

(ii) इस सेवा के विभिन्न कोटि के पदों की विवरणी अनुसूची–1 में दी गई है।

(iii) राज्य सरकार समय समय पर इस सेवा के विभिन्न कोटियों के बल, पदनाम एवं वेतनमान का निर्धारण अधिसूचना द्वारा कर सकेगी।

(iv) इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से अनुसूची में उल्लिखित पदों पर पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारी स्वतः इस सेवा के सदस्य समझे जायेंगे।

अध्याय–2
भर्ती

4. **भर्ती का श्रोत ।**– अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियमावली के अध्याय–3 के अनुसार की जाएगी।

5. **आरक्षण ।**– सेवा में नियुक्ति एवं प्रोन्नति के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य सेवाओं के लिए समय समय पर विहित आरक्षण अधिनियम, नियम के प्रावधान लागू होंगे।

6. **रिक्तियों का निर्धारण एवं आयोग को सूचित करना ।**– प्रशासी विभाग प्रत्येक वर्ष 1 ली अप्रैल को उस वर्ष में इस सेवा में सीधी नियुक्ति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या निर्धारित करेगा तथा इस प्रकार निर्धारित रिक्तियों की सूचना 30 अप्रैल तक आयोग को देगा, परन्तु यदि किसी वर्ष में अधियाचना देने या सीधी नियुक्ति द्वारा पद भरने की कार्रवाई नहीं की जाती, तब भी सीधी नियुक्ति/प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों की गणना वर्षवार की जायेगी और उसे अगले वर्ष के लिए, पिछले वर्ष की रिक्ति मानते हुए, अग्रगणित किया जायेगा।

अध्याय–3
सीधी भर्त्ती

7. **सीधी भर्त्ती का स्रोत ।**– इस सेवा की मूल कोटि के शत प्रतिशत पद सीधी भर्त्ती से भरे जायेंगे।

8. **सीधी भर्त्ती हेतु अहर्त्ता ।**–

(i) अभ्यर्थी की आयु :– न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम वही होगी जो राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा।

(ii) अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ–साथ नाट्य कला में स्नात्कोत्तर/स्नात्कोत्तर डिप्लोमा, नृत्य/संगीत में स्नातकोत्तर समतुल्य, ललित कला/कला इतिहास में मास्टर इन फाईन आर्टस।

9. **चयन का आधार** :– इस सेवा की मूल कोटि के पद आयोग के द्वारा समय–समय पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरे जायेंगे। मूल कोटि पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित लिखित प्रारंभिक परीक्षा एवं आयोग द्वारा निर्धारित मुख्य परीक्षा एवं अन्तर्वीक्षा में भाग लेना होगा।

10. **परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम ।**– परीक्षा के लिए विषय पाठ्यक्रम एवं न्यूनतम अर्हतांक का निर्धारण आयोग के परामर्श से विभाग द्वारा किया जाएगा।

11. **चिकित्सा परीक्षा ।**– नियुक्ति के लिए चुने गये प्रत्येक अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड के समक्ष चिकित्सा परीक्षा पास करना होगा। पदीय कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक निष्पादित करने की दृष्टि से जो अभ्यर्थी अपनी अपेक्षित शारीरिक योग्यता के संबंध में चिकित्सा बोर्ड में संतुष्ट करने में असफल होंगे उसे नियुक्त नहीं किया जायेगा। चिकित्सा बोर्ड स्वयं इसके लिए वस्तुनिष्ठ मापदंड निर्धारित करेगा।

12. **आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा ।**–

(1) आयोग लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर एक मेधा सूची तैयार करेगी। ऐसी तैयार की गयी सूची में से आयोग अभ्यर्थियों की उतनी संख्या की अनुशंसा राज्य सरकार को करेगा जितनी संख्या में रिक्तियाँ प्रतिवेदित की गयी हो। किसी अभ्यर्थी के योगदान न करने की स्थिति में रिक्तियाँ अग्रगणीत की जायेगी।

(2) आयोग से प्राप्त मेधा सूची विभाग में प्राप्ति की तिथि से आगामी एक वर्ष तक के लिए ही वैध होगी।

13. **वरीयता ।**– सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की आपसी वरीयता का निर्धारण आयोग द्वारा तैयार की गयी क्रमानुसार मेधा सूची के आधार पर किया जायेगा।

14. **परीक्ष्यमान अवधि एवं सम्पुष्टि ।**–

(i) किसी मौलिक पद के विरूद्ध नियुक्त प्रत्येक पदाधिकारी पदग्रहण की तिथि से दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षा पर रहेंगे।

(ii) सरकार परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति के समय इस सेवा में भर्त्ती किये गये ऐसे किसी पदाधिकारी की नियुक्ति समाप्त कर सकती है यदि उक्त पदाधिकारी अन्य कारणों से इस सेवा में नियुक्ति के योग्य न हो।

(iii) प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम प्रशासी विभाग द्वारा निर्धारित किया जा सकेगा।

(iv) सम्पुष्टि, वार्षिक वेतन वृद्धि एवं प्रोन्नति परीक्षमान अवधि में निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने एवं विभागीय परीक्षा में उर्त्तीण होने के पश्चात् ही देय होगी।

(v) विभागीय परीक्षा केन्द्रीय परीक्षा समिति राजस्व पर्षद द्वारा ली जायेगी।

अध्याय–4
प्रोन्नति

15. **कालावधि ।**– कालावधि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत कालावधि अनुदेश के आलोक में विभिन्न पदों पर कालावधि का निर्धारण किया जाएगा।

16. **विभागीय प्रोन्नति समिति।**– विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नति हेतु विचार किया जा सकेगा। विभागीय प्रोन्नति समिति अलग से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत संकल्पों/अनुदेशों के आलोक में गठित की जायेगी। अधिकतम वेतनमान के पदों पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा मनोनीत आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में होगा।

अध्याय–5
सामान्य/प्रकीर्ण

17. **कार्यक्षेत्र संबंधी अनुबंध ।**–

(i) इस सेवा के सदस्य को कार्य के लिए बिहार राज्य के अन्दर या बाहर किसी भी स्थान पर पदस्थापित किया जा सकेगा।

(ii) राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह इस सेवा के किसी भी सदस्य को किसी गैर–संवर्गीय पद पर भी जो उसकी योग्यता के अनुरूप हो, पदस्थापित या प्रतिनियुक्त कर सके।

18. **प्रशिक्षण ।**– इस सेवा के सदस्य को प्रशिक्षण के लिए राज्य में अथवा राज्य से बाहर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए भेजा जा सकेगा। प्रशिक्षण की समाप्ति पर किये गये मूल्यांकन को विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा ध्यान में रखा जा सकेगा।

19. **अन्य सेवा शर्त्ते ।**– इस सेवा के लिए अन्य शर्त्ते यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई, छुट्टी, देय सेवानिवृत्ति लाभ इत्यादि, जो इस नियमावली से आच्छादित नहीं है या जो इस सेवा के लिए अलग से अधिसूचित नहीं है, राज्य सरकार के पदाधिकारियों के लिए प्रासंगिक नियमावली में किये गये संबंधित प्रावधानों से नियंत्रित होंगी।

20. **निरसन एवं व्यावृति।**– इस सेवा के संबंध में पूर्व में निर्गत नियम/अनुदेश/निदेश निरसित समझे जायेंगे। ऐसा निरसन के बाबजूद उक्त नियमावली के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई समझी जायेगी मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत थी, जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य किया गया था।

21. राज्य सरकार कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के माध्यम से इस नियमावली से किसी प्रावधान को संशोधित करने की शक्ति रखती है तथा किसी भी प्रकार के शंका के निवारण हेतु निर्देश/परिपत्र निर्गत कर सकती है और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। प्रशासी विभाग इस नियमावली के प्रावधानों को कार्यरूप देने के लिए वैसी प्रक्रिया निर्धारित कर सकेगा जो इस नियमावली के किसी प्रावधान के प्रतिकूल न हो।

अनुसूची–'1'	
सेवा के विभिन्न कोटि के पदो की विवरणी	
(क)	**मूल कोटि के पदः–**
1	जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी
(ख)	**प्रोन्नति के प्रथम स्तरः–**
1	सहायक निदेशक (संस्कृति)/ सहायक निदेशक (कला)
(ग)	**प्रोन्नति के द्वितीय स्तरः–**
1	उप निदेशक (कला)/उप निदेशक (संस्कृति)/प्रमंडलीय उप निदेशक
(घ)	**प्रोन्नति के तृतीय स्तरः–**
1	संयुक्त निदेशक, (कला, संस्कृति)
(ड़)	**प्रोन्नति के चतुर्थ स्तरः–**
1	निदेशक (कला, सांस्कृतिक कार्य)

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अशोक कुमार मल्लिक,
सरकार के अपर सचिव।

The 11th July 2014

No. 1/प.5–01/2010–791—By utilising the power conferred by the proviso of the Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar, in order to regulate the recruitment and service conditions of the Bihar Art and Culture Service, hereby frames the following rules:-

Bihar State Art and Culture Service Rules, 2014

Chapter-1

Preliminary

1. Short title, extent and commencement

(i) These rules may be called as the Bihar State Art and Culture Service Rules 2014.

(ii) It shall extent to the whole of the state of Bihar,

(iii) It will be enforced with immediate effect.

2. Definitions: In these rules, unless otherwise requires in the context

(i) "State Government" means the Government of Bihar.

(ii) "Governor" means the Governor of Bihar.

(iii) " Department" means the Department of Art, Culture and Youth.

(iv) "Commission" means the Bihar Public Service Commission.

(v) "Member" means a person appointed in the Bihar Art and Culture Service.

(vi) "Service" means Bihar Art and Culture Service.

(vii) "Appointing Authority" means the Government of Bihar.

(viii) "Controlling Authority" means the Department of Art, Culture and Youth.

(ix) "Probationary officer" means the new recruited officer under training appointed against the permanent post to the basic grade of the Bihar Art and Culture Service.

(x) "Seniority list" means the seniority list to be prepared for the Bihar Art and Culture Service under the Directorate of Cultural Affairs.

3. Constitution of the service

(i) This service shall be the state service under the administrative control of the Department of Art, Culture and Youth.

(ii) The description of the different grades of this service is given in the Annexure-I.

(iii) The state government may determine the work force, designation and pay scale of different grades of this service from time to time by issuing notification.

(iv) The officers already appointed and working to the posts mentioned in the schedule shall be considered automatically as members of this service from the date of commencement of these rules.

Chapter-2

Recruitment

4. Source of recruitment:

If not otherwise provided, the direct recruitment shall be made as per the provisions of chapter-3 of the rules.

5. Reservation:

For the appointment and promotion in this service, provisions for promotion shall be made effective in accordance with the reservation rules enacted from time to time.

6. Determination of vacancies and intimation to the commission:-

The administrative department shall determine the number of vacancies to be filled up by the direct appointment every year on the $1^{st}$of April and shall send the requisition by 30^{th} of April. If any action to send requisition or to fill up the post by direct appointment is not taken there after also year wise calculation of the of the post to be fill up by direct

appointment will be made and it shall be carried forward for the next year treating to be vacancies of last year.

Chapter-3
Direct Recruitment

7. Source of the direct recruitment:

The basic grade of this service shall be filled 100% through direct recruitment.

8. Qualifications for the direct recruitment:

(i) **Age of the candidate**- The minimum age shall be 21 years and the maximum age shall be the same as may be determined from time to time by the General Administrative Department of the State Government.

(ii) **Minimum educational qualification of the candidates:-** Graduation from any recognised university, in addition to the post graduation Diploma in Dramatic Arts or P.G. in Theatre/Dramatics, post-graduation or equivalent degree in dance/music/fine arts/art history.

9. Basis of selection:

The posts of the basic category of this service shall be filled by the Commission by organising competitive examination conducted from time to time. For the appointment into the basic grade of this service a candidate shall have to undertake the written preliminary examination and main examination and interview fixed by the commission.

10. Subject and syllabus of examination

The subject and syllabus for the examination to be conducted by the commission and the essential and desirable eligibilities as per the subject shall be decided by the department in consultation with the commission.

11. Medical examination

Each candidate selected for the appointment shall have to undergo the medical examination before a Medical Board constituted by the state government. Those candidates who will fail to satisfy the medical board, with regard to his physical fitness as required by effective execution of the duties supposed to be undertaken by him shall not be appointed. The Medical Board will itself formulate objective criterion for the purpose.

12. Recommendation of the candidates by the commission

(i) The Commission shall prepare a merit list of the candidates on the basis of the marks obtained in the written examination and the interview. Out of the list so prepared the commission shall recommend only such number of candidates as requisitioned against the vacancy. Only in the case of any candidate not joining the service that the name of the other candidates from the list can be recommended as per the order of the merit list.

(ii) The merit list received from the commission to the department shall be valid up to a period of one year since the date of its receipt in the department.

13. Seniority:-

The seniority of the employees appointed by direct recruitment shall be determined on the basis of the merit list prepared by the commission according to the serial number.

14. Probation period and confirmation:

(1) Every officer appointed against the basic post shall remain on probation up to the period of 2 years from the date of his joining.

(2) The government may terminate the appointment of any officer recruited in this service during his probation period or at the time if the officer is found not fit for the appointment of its expiry for other reasons.
(3) Syllabus of the training shall be decided by the Administrative Department.
(4) The confirmation, annual increment and promotion admissible to the new recruit into the service can be given to him only after the completion of the stipulated training and passing the departmental examination.
(5) The Departmental Examination shall be organised by the Central Examination Committee (Board of Revenue).

Chapter-4
Promotion

15. Kalawadhi for promotion:-

The "kalawadhi" of different post shall be fixed from time to time as per the guidelines issued by the General Administration Department.

16. The departmental promotion committee:-

On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the promotion shall be considered. The Departmental Promotion Committee shall be constituted as per the resolutions/circulars issued from time to time by the General Administrative Department. For the promotion to the highest pay scale, the Departmental Promotion Committee shall be chaired by the Chairman of the Bihar Public Service Commission or a member nominated by him.

Chapter-5
General/ Miscellaneous

17. Contract with regard to the scope of work:-

(i) Member of this service can be posted anywhere in the state of Bihar or outside it.
(ii) The government shall have power to appoint or depute any member of this service to any non-cadre post which would being accordance with his qualification.

18. Training:-

Any member of this service may be sent for the training for a stipulated period in or outside the state.

The service condition, salary, allowance, leaves, pension and other conditions of this service shall be fixed as per the Bihar Service Code and Bihar Pension Rules.

19. Other service conditions:-

Other conditions and disciplinary actions, leave, admissible pension benefits, etc. for these service which are not covered by these rules or which are not notified separately for these services shall be governed by the provisions of the relevant rules for the offices of the state government.

20. Repeal and saving:-

(i) All concerned & relevant circulars/decisions shall be repeal on the date on which these rules comes in force.
(ii) Beside such repeal anything done or any action taken under those rules, any work or action done under this rule shall be deemed to have been done or taken in exercise of power conferred by or under those rules as if those rules were in force on the day on which such thing or action was done or taken.

Schedule – 1

1. **Detail of different category of services :-**

A.	**Basic category posts**
1.	District Art & Culture Officer
B.	**Post of 1st Stage promotion**
1.	Assistant Director (Culture)/ Assistant Director (Art)
C.	**Post of 2ndStage promotion**
1.	Deputy Director (Culture)/ Deputy Director (Art)/ Divisional Deputy Director
D.	**Post of 3rdStage promotion**
1.	Joint Director (Art & Culture)
E.	**Post of 4thStage promotion**
1.	Director (Art & Cultural Affairs)

By order of the Governor of Bihar,
ASHOK KUMAR MALLICK,
Additional Secretary of Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 597-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in